

सूचना / मुनादी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका कलानौर क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनी विकसित की जा रही है। उक्त कालोनियां विभाग से सी.एल.यू./एन.ओ.सी./लाइसेंस प्राप्त किये बिना ही विकसित की जा रही है। उक्त बारे आमजन से अपील है कि वे भू-माफियां द्वारा विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनी में कोई प्लॉट ना खरीदे।

सूचित रहे।


प्रशासक नगरपालिका कलानौर-कम-
उपमण्डल अधिकारी (ना0), रोहतक।


सचिव,
नगरपालिका कलानौर।